# कार्यालय कलेक्टर जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ 334 /वाचक/2021 सूरजपुर, दिनांक 26/07/2021

**:: अनापत्ति प्रमाण पत्र::**

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग सूरजपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 7183/तक./2020–21 सूरजपुर, दिनांक 19/10/2020 के माध्यम से सूरजपुर जिला कोर्ट भवन निर्माण किये जाने हेतु ग्राम–तिलसिवां, तहसील–सूरजपुर अन्तर्गत स्थित भूमि खसरा नंबर 529 में से रकबा 1.82 हे. भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक विभाग के आवेदन पर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर से प्रतिवेदन लिया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–तिलसिवां, तहसील–सूरजपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 529 रकबा 6.394 हे. वर्तमान राजस्व अभिलेखों में छोटे झाड के जंगल मद में दर्ज है। उक्त भूमि में से रकबा 1.82 हे. भूमि पर जिला कोर्ट भवन निर्माण प्रस्तावित है। वादभूमि का मौका जांच राजस्व एवं वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। वादभूमि वर्तमान में मौके पर पड़त है। वादभूमि पर किसी प्रकार का कोई पेड़ या झाड़ी जंगल नहीं है। वादभूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक वन अधिकार पत्र आबंटित नहीं किया गया है। वादभूमि पर वन निवासियों का कोई मकान नहीं बना हुआ है और न ही इनके द्वारा वादभूमि कृषि कार्य किया जा रहा है। जिससे आवेदक विभाग को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन की कार्यवाही विधिवत पूर्ण किये जाने हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है।

अतएव ग्राम–तिलसिवां, तहसील–सूरजपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 529 रकबा 6.394 हे. में से रकबा 1.82 हे. छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत, नवीन जिला न्यायालय भवन निर्माण अर्थात् गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग सूरजपुर को उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक/334A/वाचक/2021 सूरजपुर, दिनांक 26/07/2021

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध), कार्यालय मुख्य वन संरक्षक छ.ग. अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड रायपुर, को सूचनार्थ।
2. मान. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner